

विधान सभा सत्र-दिसम्बर 2019, विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1192 के प्रश्नासंख्ये का
परिशिष्ट भाग "एक"

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

क्र./क्यु/ अ.वि.अ./2019/550(1-4)

चंदेरी दिनांक 07/12/2019

आदेश

वन विभाग द्वारा किसानों की अधिग्रहित भूमि को वापिस दिलाये जाने हेतु विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1192 के क्रम में ग्राम खाकलौन सर्वे नंबर 82, 127, 148 एवं 149 के वस्तु स्थिति की जांच हेतु निम्नांकित दल गठित किया जाता है।

1. वनपरिक्षेत्राधिकारी चंदेरी - श्री कुशल सिंह
2. उप वनक्षेत्रपाल चंदेरी - श्री बाबू सिंह परमाल
3. राजस्व निरीक्षक चंदेरी - श्री महेश गंगोले, श्री भगवान सिंह कुशवाह
4. संबंधित ग्राम पटवारी - श्री रविन्द्र कुशवाह
5. बीठ प्रभारी चंदेरी - श्री अरुण कुमार कोली, श्री दिनेश भील

उक्त दल सर्वे क्रमांक, नक्शे में सर्वे क्र., बटांकन क्र., खसरे में उल्लेखित भूमि, मौके पर कब्जेदार का नाम, भूमि की वर्तमान स्थिति, वन विभाग को सौंपे गयी भूमि का रकवा, शेष रकवा के संबंध में बिन्दुवार वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)

अनुभाग चंदेरी

चंदेरी दिनांक

पृ. क्र./क्यु/ अ.वि.अ./2019/550(1-4)

प्रतिलिपि :

1. कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
3. उप वनमण्डलाधिकारी चंदेरी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)

अनुभाग चंदेरी

अ.वि.अ.
०७/१२/१९



अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल